~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 130/2021 अन्तर्गत धारा 88, 40, 188, RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. प्रेमराज पुत्र भंवरलाल 2. धर्मेन्द्रकुमार पुत्र भंवरलाल 3. ललितकुमार पुत्र भंवरलाल जाति कुमावत, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. भंवरलाल पुत्र दानाराम 2. भाग्यश्रीबेन पत्नी प्रेमकुमार पुत्री भंवरलाल जाति कुमावत, निवासी निम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. छगनीदेवी पत्नी राजुराम पुत्री भंवरलाल जाति कुमावत, निवासी काठुड़ी तहसील व जिला जैसलमेर 4. शांतिबेन पत्नी कमलेश भाई पत्नी भंवरलाल जाति कुमावत, निवासी निम्बला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. करतुराराम पुत्र दानाराम 6. मांगीलाल पुत्र दानाराम 7. सोनाराम पुत्र दानाराम जाति कुमावत, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 8. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री जेठाराम कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 4 – श्री बालाराम गोदारा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.05.2024

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1012/228, 589, 590, 1016/229 रकबा क्रमशः 5.1800, 6.7178, 4.9695, 3.7231 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्व पुरूष दानाराम के विधिक वारिश है। पूर्व पुरूष दानाराम के फौत होने पर उनके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 व 5 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये गये। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/प्रपौत्र का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पैतृक होने से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा निहित है तथा बहामी तौर पर बंटवारा भी किया हुआ है। पक्षकारान् अपने अपने हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर उक्त पैतृक सहदायिकी संपत्ति का अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान अजनबी क्रे ताओं को करने पर आमादा है, जबकि पैतृक सहदायिकी संपति में प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण सरकारी योजनाओं एवं अन्य कृषि विकास के कार्यों से वंचित रह जाते है। अतः उक्त विवादित पैतृक सहदायिकी खातेदारी में वादीगण द्वारा स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाने को स्वीकार किया है। शेष

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 5 से 7 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है तथा उनसे कोई सारवान अनुतोष भी नहीं चाहा गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपने–अपने बयान शपथ पत्र पेश किये गये और दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां, खतौनी बन्दोबस्त पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा साक्ष्य स्वरूप अपने बयान शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिशान के संबंध में तहसीलदार शिव से रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई।

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र एवं राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण की खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 दानाराम के वारिस है, जो जाति से कुमावत होने से वक्त मृत्यु हिन्दू विधि से शासित होते थे। अतः उनके हक हिस्सा का अंतरण भी हिन्दू विधि के अनुसार ही होगा। खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 स्व0 दानाराम के वारिश होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा राजीनामा पेश कर वादपत्र अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। चूंकि उक्त वाद में वादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई है, किन्तु प्रतिवादीनी संख्या 2 से 4, प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां होने से एवं विवादित आराजी पैतृक भूमि होने से हिन्दू विधि के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीनी संख्या 2 से 4, प्रतिवादी संख्या 1 की जाइन्दा संताने होने से सभी का बराबर हक हिस्सा निहित है। तहसीलदार शिव से प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिशान के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की गई। यदि प्रतिवादीनी संख्या 2 से 4 वादग्रस्त आराजी में निहित अपने पुश्तैनी हक हिस्से का त्याग करना चाहती है तो वह उप पंजीयक कार्यालय में जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत अपना हक त्याग करने हेतु स्वतंत्र है। शेष प्रतिवादीगण से कोई सारवान अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 2 से 4 का हक हिस्सा निहित होने से उनको प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 1012/228, 589, 590, 1016/229 रकबा क्रमशः 5.1800, 6.7178, 4.9695, 3.7231 हैक्टेयर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीनी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक की खातेदारी में बहिस्सा बराबर घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डि क्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner